



राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक प.9(8)कार्मिक/क-1/2014

जयपुर, दिनांक : 08.05.2024

॥ आज्ञा ॥

श्री राजेश गुप्ता, न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा को शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि विभाग, जयपुर (Secretary, Law & Jt. L.R., Law Department, Jaipur) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती अनुपमा राजीव बिजलानी, शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर की सेवाएँ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को वापस लौटायी जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अति० मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संभागीय आयुक्त।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संबंधित अधिकारी।
7. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर (मय अतिरिक्त प्रति)।
8. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
2. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।

  
संयुक्त शासन सचिव